भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 385

21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- एसएमएएम के अंतर्गत कार्य योजनाएं

385. श्री केसिनेनी शिवनाथः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्यों ने कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान इस योजना के "व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को वित्तीय सहायता" के घटक के अंतर्गत वर्ष-वार, राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए जिला-वार कितने लाभार्थियों का उल्लेख किया गया है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत उक्त घटक के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई लेखापरीक्षा तंत्र संचालित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत वर्ष-वार, राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए जिला-वार कितने लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इस योजना के प्रभाव को मापने के लिए कोई लेखापरीक्षा की जाएगी?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क), (ख) और (घ): राज्यों ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की सभी संगत योजनाओं को शामिल करते हुए एकल समेकित वार्षिक कार्य योजनाएं (एएपी) प्रस्तुत की हैं, जिसमें कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) भी शामिल है।

एसएमएएम घटक के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान “व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को वित्तीय सहायता” के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या अनुबंध-I में दी गई है। जिला-वार आवंटन का निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाता है और कृषि विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश के लाभार्थियों का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) और (ङ): योजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन एक मानक, प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है जिसका उपयोग नीतियों, कार्यक्रमों या परियोजनाओं के दीर्घकालिक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एसएमएएम का प्रभाव मूल्यांकन विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग के तत्वावधान में 'पैकेज 1 में सीएसएस योजनाओं का मूल्यांकन- कृषि और संबद्ध क्षेत्र' अध्ययन के एक भाग के रूप में किया गया था।

वर्ष 2025 में जारी अध्ययन रिपोर्ट विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में प्राथमिक फील्डवर्क, लाभार्थियों के साथ मात्रात्मक सर्वेक्षण, केंद्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक परामर्श तथा आधिकारिक रिकॉर्ड एवं योजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) से द्वितीयक डेटा विश्लेषण के आधार पर एसएमएएम सहित विभिन्न योजनाओं का एकीकृत मूल्यांकन प्रदान करती है। स्टडी रिपोर्ट मे यह उल्लेखित है कि एसएमएएम खासकर किराए पर मशीनरी उपलब्ध करने के माध्यम से छोटे किसानों की ज़रूरतों के साथ बेहतर ढंग से तालमेल बिठा पाया है। खेती में मशीनीकरण को खेत की उत्पादकता बढ़ाने और मज़दूरों की कमी को दूर करने के लिए एक अहम कदम माना गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) के अनुसार, भारत में खेती के लिए उपलब्ध पावर 1971-72 में 0.372 किलोवाट प्रति हेक्टेअर से बढ़कर 2021-22 में 3.045 किलोवाट प्रति हेक्टेअर हो गई है।

अनुबंध-I

एसएमएएम के घटक "व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को वित्तीय सहायता" के तहत लाभार्थियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या

राज्य	लाभार्थियों की संख्या				
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	*	*	*	25187	20300
अरुणाचल	12160	4541	2241	3741	3785
असम	*	131	2	51	1597
बिहार	*	5	2101	8875	34350
छत्तीसगढ़	18297	19276	2918	3635	3472
गोवा	1306	*	*	*	134
गुजरात	518	1601	369	3907	9148
हरियाणा	*	2285	*	*	*
हिमाचल प्रदेश	3635	2874	157	2129	1206
जम्मू और कश्मीर	*	558	1752	1574	1246
झारखंड	19871	*	*	*	*
कर्नाटक	31130	23234	14675	24504	53442
केरल	27690	29755	28047	26834	16321
मध्य प्रदेश	56130	35100	30250	30441	7076
महाराष्ट्र	14914	30031	23314	7258	30167
मणिपुर	113	1766	1838	*	841
मेघालय	50	187	*	486	705
मिजोरम	1772	45	1604	159	1139
नागालैंड	167	4600	3932	3526	6109
ओडिशा	424	494	9015	22824	19005
पंजाब	*	1551	966	2669	692
राजस्थान	103	2345	6579	9801	24136
सिक्किम	775	752	769	1835	3659
तमिलनाडु	3741	7732	39533	20647	19726
तेलंगाना	*	*	*	*	15065
त्रिपुरा	12	6285	9827	11444	12333
उत्तर प्रदेश	5526	9962	12620	12179	12709
उत्तराखंड	*	7832	3221	4876	6694
पश्चिम बंगाल	*	514	1070	3229	15786
पुदुचेरी	*	219	*	*	*
कुल	198334	193456	196800	231811	320843

* राज्यों द्वारा इस घटक को कार्यान्वित नहीं किया गया

अनुबंध-II

वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को वित्तीय सहायता घटक को कार्यान्वित नहीं किया गया है।

वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 के लिए एसएमएएम के घटक "व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को वित्तीय सहायता" के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में लाभार्थियों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिला	लाभार्थियों की संख्या	
		2024-25	2025-26
1	अल्लूरी सीताराम राजू	351	284
2	अनकापल्ली	1011	258
3	अनंतपुर	1072	1853
4	अन्नामय्या	979	319
5	बापटला	1062	779
6	चित्तूर	979	360
7	डॉ. बी.आर.अम्बेडकर कोणसीमा	521	173
8	पूर्वी गोदावरी	675	414
9	एलुरु	915	877
10	गुंटूर	1331	758
11	काकीनाडा	688	387
12	कृष्णा	1022	925
13	कुरनूल	1125	1921
14	मरकापुरम	0	742
15	नांदयाल	963	1438
16	एनटीआर	867	692
17	पलनाडु	1268	1610
18	पार्वतीपुरम मान्यम	920	346
19	पोलावरम	0	147
20	प्रकाशम	1258	795
21	एस.पी.एस.आर. नेल्लोर	1451	769
22	श्री सत्य साईं	1021	666
23	श्रीकाकुलम	1405	680
24	तिरुपति	1679	610
25	विशाखापट्टनम	117	36
26	विजयनगरम	867	459
27	पश्चिम गोदावरी	709	244
28	वाई.एस.आर.	931	1786
	कुल	25187	20329
